UPSI180035702024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-388/2024

सिराज अहमद बनाम सलमान आदि।

वाद की प्रकृति	**स्थाई निषेधाज्ञा**
वाद का मूल्यांकन	**5000/-रुपये**
अधिवक्ता का नाम	**श्री राकेश कुमार**
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	**05.11.2024**

यह वाद-पत्र वादी द्वारा वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा उसके विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तद्‌नुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूल वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र-6ग2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनांक 16.12.2024 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

<u>निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2</u>

वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र 6ग2 मय शपथ पत्र 7ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम पैगम्बरपुर मजरा सिरकुण्डा, परगना सदरपुर, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर जिसकी चौहद्दी उत्तर-रास्ता बादहू तलिया, दक्षिण-शेष सहन वादी, पूरब-मकान वादी, पश्चिम-खड़ण्जा रास्ता जिसे वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शा-नजरी में अक्षर अ,ब,स,द, से दर्शाया गया है, पर लगे वादी के पेड़ों को जबरन काटने तथा भूमि पर जबरन कब्जा करने व जबरन निर्माण करने से प्रतिवादीगण को रोके जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची 9ग1 से एक किता वादीय आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या-9ग1/2 दाखिल पत्रावली की गयी है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

कार्यालय की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना पत्र 6ग2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण को नोटिस दिनांक-16.12.2024 हेतु जारी हो। वादी आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनांक-16.12.2024 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O Code-UP3555

<u>निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8ग2</u>

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 8ग2 वास्ते कराये जाने कमीशन कार्यवाही जरिये कमिश्नर पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थना-पत्र 8 ग2 स्वीकार किया जाता है।

(P.T.O)

Digitally signed by RANJEET KUMAR JAISWAL
Date: 2024.11.05 17:32:16 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M. Mahmudabad, Sitapur.

वादी जरिये **अमीन कमिश्नर** विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु पैरवी अविलम्ब करे। अमीन कमिश्नर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या आगामी तिथि तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अमीन कमिश्नर पर विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कार्यवाही अविलम्ब करे।

दिनांकः-05.11.2024

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3555

UPSI180035702024